

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली-110 119,
3 फरवरी, 2012

संख्या एल-51013(4)/2011-आईआर (पीजी)

सेवा में,

1. भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) (डीएचआई)/ वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)/ विद्युत मंत्रालय।
2. राज्य सरकारें (आंध्र प्रदेश, हिमांचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश)।
3. नियोक्ताओं और मजदूरों के संगठन
4. श्री के. श्यामराज, संख्या 150/बी, 10 मेन, आर.एम.टी. इस्तार, बंगलोर, कर्नाटक।
5. श्री सी.एम. राजेश, जी-1, विश्वनुमेडोस, बंजारा हिल्स, नं., 3, हैदराबाद - 500 034

विषय: विद्युत उत्पादन और वितरण उद्योग पर औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति का पुनर्गठन

महोदय,

विद्युत उत्पादन और वितरण उद्योग पर औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति के (इस मंत्रालय के संचार संख्या L-51013/5/2009-IR (PG) दिनांक 07.09.2009 द्वारा) छिले गठन के अतिक्रमण में, तत्काल प्रभाव से विद्युत उत्पादन और वितरण उद्योग पर औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है:

सभापति

श्रम एवं रोजगार मंत्री

उप-सभापति

सचिव (श्रम और रोजगार)

1. सरकार

(क) केन्द्रीय सरकार

1. श्रम और रोजगार मंत्रालय
2. भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग)
3. विद्युत मंत्रालय।
4. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)।

(ख) राज्य सरकारें

आंध्र प्रदेश, हिमांचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झज्जर, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश

2. नियोक्ता

(i)	आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	1 सीट
(ii)	बिहार राज्य बिजली बोर्ड	1 सीट
(iii)	मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	1 सीट
(iv)	महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	1 सीट
(v)	पंजाब राज्य बिजली बोर्ड	1 सीट
(vi)	राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड	1 सीट
(vii)	तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड	1 सीट
(viii)	उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	1 सीट
कुल		8 सीटें

3. मजदूर

(i)	भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस)	3 सीटें
(ii)	भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक)	2 सीट
(iii)	अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (ए.आई.टी.यू.री.)	2 सीट
(iv)	भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र (सीट्रू)	1 सीट
कुल		8 सीटें

- श्री के. स्यामाराजू, नं. 150/बी, 10वाँ मेन, आर.एम.वी. एवरस्टेशन, बंगलौर, कर्नाटक और श्री सी.एम. राजेश, जी-1, विष्णुमीडोज, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद-500 034 को विद्युत उत्पादन और वितरण उद्योग पर औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति में विशेषज्ञों के रूप में सहयोजित किया जाएगा।
- सदस्य बैठक में भाग लेने के लिए अपने साथ एक सलाहकार ला सकते हैं। सलाहकार को बैठक में भाग लेने के लिए मन्त्रालय द्वारा टीए / डीए का धुगतान नहीं किया जाएगा।
- सामान्य रूप से औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति के कार्य पक्षों के बीच समस्याओं की एक बेहतर समझ लाने, समस्याओं का समाधान करने में सलाह देने और एक आम सहभति तक पहुँचने के उद्देश्य से उन समस्याओं का अध्ययन करना और उन पर चर्चा करना है, जो संबंधित उद्योग के लिए विशेष हैं।
- जब भी आवश्यक विचार किया जाता है समिति की बैठक होगी।

आपका भवदीय

(वी. अशोक)
उप-निदेशक
दूरभाष सं. 23766939

प्रतिलिपि:

- एलईएम के लिए पीएस
- सचिव (एल एंड ई) के लिए वरिष्ठ पीपीएस/पी पी एस के रूप में एएस(एलएंडई) के लिए पीपीएस/एलईए के लिए पीपीएस/एएस के लिए पीएस/डीजीएलडब्ल्यू
- संयुक्त सचिव (सीपी)/संयुक्त सचिव (एपी)/ईए(केएमजी)/उपमहानिदेशक (टीकेबी)
- डीजीईएंडटी/सीएलसी(सी)/सीपीएफसी/ महानिदेशक, ईएसआईसी/डीजीएफएएसएलआई/ डीजीएमएस/डीजी, श्रम ब्यूरो
- सभी नीति अनुभाग

(वी. अशोक)
उप-निदेशक